FAQs For Pensioners

1. **पेंशनर की SSO ID क्या होगी? यदि employee Id सेवा के समय बनी हुई है तो उसे ही कन्वर्ट करना है या नई बनानी है।**

   पेंशनर की SSO ID सिटीजन के आधार बनी हुई आई–डी होगी एक पेंशनर employee Id से RGHS पर रजिस्टेशन नहीं कर सकता उसके लिए उसे नई SSO ID बनवानी होगी।

   SSO-ID बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

   - ✓ sso.rajasthan.gov.in वेब लिंक पर जाने पर आपको Log–inओर Registration दो विकल्प दिखाई देगें जिनमें से आप Registration पर क्लिक करें।
   - ✓ Registration पर Click करने पर Citizen, Udhyog और Govt. Employee के विकल्प प्रदर्शित होगें, जिनमें से Citizen विकल्प का चयन करना होगा।
   - ✓ Citizen पर Click करने पर चार विकल्प जन–आधार, भामाशाह, फेसबक एवं गुगल प्रदर्शित होगें उक्त चार विकल्प में से किसी एक का चयन कर विकल्प से संबंधित सामान्य सूचना अंकित पर पुष्टिकरण करें।
   - ✓ पुष्टिकरण के पश्चात यूजर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और मोबाईल/ई–मेल अंकित कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करें।

   इस प्रकार आप SSO-ID एवं Password प्राप्त कर सकते है।

2. **यदि एक जन–आधार फैमिली में कोई पेंशनर है एवं उसके बेटा/बेटी में से कोई भी सरकारी कर्मचारी कर्मचारी है तो क्या रजिस्ट्रेशन एक जन–आधार से हो सकता है?**

   जी नहीं, इस स्थिति में बेटा/बेटी को अलग पृथक से जन–आधार बनवाना होगा।

3. **पति पत्नी दोनों पेंशनर है, उन्हें अलग–अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है पर जनाधार एक ही है ?**

   यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर है और वो अलग–अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो एक जन–आधार कार्ड से RGHS पर अलग–अलग रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।

4. **किसी परिवार में पति–पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो पृथक रजिस्ट्रेशन होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा ?**

   यदि एक जन–आधार फैमिली में एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है या **दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है** तो कोई एक RGHS पर रजिस्ट्रेशन करके अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है इसके लिए पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है।

5. **क्या एक जनाधार का RGHS में Regular employee, pensioner और चिंरजीवी योजना में उपयोग हो सकता है?**

जी नहीं, RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर को अलग अलग जन–आधार कार्ड बनवाना होगा (यदि दोनों पति–पत्नी नहीं है तो बिन्दु संख्या 3)
चिरंजीवी योजना सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर पर योजना लागू नहीं है ये केवल RGHS का लाभ ले सकते है।

6. **जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, भूल सुधार कैसे होगी?**

   जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें चिरंजीवी योजना से अपना रजिस्ट्रेशन विलोपित करवाना होगा। इसके लिए चिरंजीवी योजना के सहायता केन्द्र पर सम्पर्क करें।

7. **जनाधार मे राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पर विचार चल रहा है क्यों कि वर्तमान मे नए राशन कार्ड बनने बन्द है।**

   जन–आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है आप बिना राशन कार्ड भी जन–आधार के लिए पंजीयन कर सकते है।